रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022022-233711
CG-DL-E-24022022-233711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2022/फाल्गुन 5, 1943
No. 150] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2022/PHALGUNA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फ़रवरी, 2022

सा.का.नि. 153(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 287(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको प्रारूप नियमों में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 26 अप्रैल, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41, धारा 50 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 112 के उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(9) केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख से छह माह के पश्चात् विशेष प्रयोजन यान अर्थात् कैश वैन भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित किए जाने तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-163:2020 में कथित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी ।"।

3. उक्त नियम में नियम 125छ में उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(7) केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख से छह माह के पश्चात् मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा निर्मित विशेष प्रयोजन यान अर्थात् कैश वैन भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित किए जाने तक समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-163:2020 में कथित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी ।"।

4. उक्त नियम में प्ररूप 22च में "[(नियम 47ख (3), 112(3), 112(4), 112(5), 112(6), 112(7), 112(8), 126 देखिएं)]" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "[(नियम 47ख (3), 112(3), 112(4), 112(5), 112(6), 112(7), 112(8), 112(9), 126 देखिएं)]" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आरटी-11036/69/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 126(अ) तारीख 15 फरवरी, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2022

G.S.R. 153(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 287(E), dated the 23rd April, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 26th April, 2021;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 41, 50 and 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 112, after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(9) On and after six months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2022, Special Purpose Vehicle, viz. Cash Vans shall comply with the requirements stated in AIS-163:2020, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016(11 of 2016).".

3. In the said rules, in rule 125-G, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(7) On and after six months from the date of commencement of the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2022, Special Purpose Vehicle, viz. Cash Vans, manufactured by Original Equipment Manufacturers, shall comply with the requirements of AIS-163, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).".

4. In the said rules, in Form 22 F, for the words, figures and brackets, "[(See rules 47B (3),112(3), 112(4), 112(5), 112(6), 112(7), 112(8),126)]", the words, figures and brackets, "[(See rules 47B (3),112(3), 112(4), 112(5), 112(6), 112(7), 112(8), 112(9),126)]", shall be substituted.

[F. No. RT-11036/69/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 126(E), dated the 15th February, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.02.24 16:52:38 +05'30'